



Government of India
Ministry of Railways
Railway Recruitment Boards



NOTICE FOR CCAAs

Ministry of Railways in terms of Order No. ERB-I/2022/23/06 dated 09.02.2022 has decided to include issues of Course Completed Act Apprentices (CCAAs) trained in Railways in the “Terms of Reference” of the Committee constituted on 26.01.2022. In terms of Section 22 of Apprentices Act, it has now been decided as follows:

- CCAAs trained in Railway Establishments will be given due weightage for the training done by them in Railways Establishments in preparation of the final merit list after conduct of CBT for Level-1 recruitment.
- CCAAs trained in Railway Establishments will be exempted from Physical Efficiency Test.

Chairpersons
Railway Recruitment Boards

Date: 11.03.2022



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सीसीएए के लिए नोटिस

रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या ERB-I/2022/23/06 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा रेलवे में कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) के मामलों को दिनांक 26.01.2022 को गठित समिति के "संदर्भित शर्तों" में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। अप्रेंटिसिस एक्ट की धारा 22 के परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :

- रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित CCAA को लेवल -1 भर्ती के लिए सीबीटी आयोजित करने के बाद अंतिम मेधा सूची तैयार करने में उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण के लिए विशेष महत्व दिया जाएगा।
- रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

दिनांक : 11/03/2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड